रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-04082022-237921 CG-DL-E-04082022-237921

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3532] No. 3532] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 4, 2022/श्रावण 13, 1944 NEW DELHI, THURSDAY, AUGUST 4, 2022/SHRAVANA 13, 1944

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य अनुसंधान विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली. 4 अगस्त. 2022

का.आ. 3699(अ).—केंद्रीय सरकार द्वारा दो अधिनियमों अर्थात् सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 को अधिसुचित किया, जो 25.01.2022 से प्रवृत हुए;

जबिक सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 15 की उप-धारा (3) और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 11 की उप-धारा (3) में उपबंध है कि सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और / या सरोगेसी से संबंधित प्रक्रियाओं का संचालन करने वाले ऐसे क्लिनिकों और बैंकों इन अधिनियमों के प्रारंभ की तारीख (जो कि 25.01.2022 है) से छह मास (जो कि 24.07.2022 है) के अवसान पर ऐसा परामर्श देना और प्रक्रियाएं करना तब तक बंद कर देंगे, जब तक कि ऐसे क्लिनिकों और बैंकों ने रिजस्ट्रीकरण के लिए आवेदन नहीं किया हो और इस प्रकार पृथक रूप से रिजस्ट्रीकृत न हो गया हो या जब तक कि उसके आवेदन का निपटारा न कर दिया गया हो, इनमें से जो भी पूर्वतर हो;

और जबिक सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 12 की उप-धारा (2) और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 35 की उप-धारा (2) अधिनियम में उपबंध किया गया है कि राज्य सरकार, इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से नब्बे दिनों की अविध के भीतर, अधिसूचना द्वारा, उपर्युक्त अधिनियम के इन उद्देश्यों के लिए पूरे या राज्य के किसी भी हिस्से के लिए एक या अधिक उपयुक्त सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी प्राधिकरणों की नियुक्ति करेगी।

5337 GI/2022 (1)

और जबिक केंद्रीय सरकार द्वारा सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 12 की उप-धारा (1) और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 की धारा 35 की उप-धारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 04.05.2022 की अधिसूचना संख्या यू.11019/09/2022-एचआर के माध्यम से 8 संघ राज्यक्षेत्रों के लिए उपयुक्त प्राधिकरणों का गठन किया है।

और जबिक यह सूचित किया गया है कि 17 राज्य सरकारों ने ऐसे उपयुक्त प्राधिकरणों का गठन नहीं किया है और इस वजह से, किठनाइयां उत्पन्न हुई हैं जो इन 17 राज्यों के क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आने वाले क्लिनिकों और बैंकों द्वारा आयोजित की जा रही सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी से संबंधित परामर्श या प्रक्रियाओं को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं;

अब, इसलिए, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 42) की धारा 46 द्वारा प्रदत्त शक्तियों और सरोगेसी (विनियमन) अधिनियम, 2021 (2021 का 47) की धारा 54 का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय सरकार एतद्वारा उक्त कठिनाइयों को दूर करने के लिए निम्नलिखित आदेश देती है, अर्थात्:

- 1. (1) इस आदेश को सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी (विनियमन) और सरोगेसी (विनियमन) (कठिनाइयों को दूर करना) आदेश, 2022 कहा जा सकता है।
 - (2) यह 25.07.2022 से प्रवृत्त होगा।
- 2. तदनुसार, नीचे दर्शाए गए 17 राज्यों के अधिकार क्षेत्र में आने वाले सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी क्लीनिकों, सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी बैंकों और सरोगेसी क्लीनिकों को 24.07.2022 से आगे और 3 महीने की अधिकतम अविध तक (जो कि 24.10.2022 तक है) सहायताप्राप्त जननीय प्रौद्योगिकी और सरोगेसी से संबंधित परामर्श या प्रक्रियाएं आयोजित करने की अनुमित है:-

1. असम	7. हिमाचल प्रदेश	13. राजस्थान
2. बिहार	8. झारखंड	14. सिक्किम
3. छत्तीसगढ़	9. कर्नाटक	15. त्रिपुरा
4. गोवा	10. मणिपुर	16. उत्तर प्रदेश
5. गुजरात	11. मेघालय	17. उत्तराखंड
6. हरियाणा	12. नागालैंड	

[फा. सं. यू.11019/133/2022-एचआर]

गीता नारायण, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health Research)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th August, 2022

S.O. 3699(E).—The Central Government notified the two Acts namely the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 which came into force with effect from 25.01.2022;

WHEREAS sub-section (3) of section 15 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and sub-section (3) of section 11 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 provides that clinics and banks, conducting procedures relating to Assisted Reproductive Technology and/or Surrogacy, shall cease to conduct any such counselling or procedures on the expiry of six months (i.e. 24.07.2022) from the date of commencement (i.e. 25.01.2022) of these aforesaid Acts, unless such clinics and banks have applied for registration and is so registered separately or till such application is disposed of, whichever is earlier;

AND WHEREAS sub-section (2) of section 12 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and sub-section (2) of section 35 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 the Act provides the State Government shall, within a period of ninety days from the date of commencement of this Act, by notification, appoint one or more appropriate assisted reproductive technology and surrogacy authorities for the whole or any part of the State for the purposes of these aforesaid Acts;

AND WHEREAS Central Government, in exercise of powers conferred under sub-section (1) of section 12 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 and sub-section (1) of section 35 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021, has constituted Appropriate Authorities for 8 UTs vide notification no. U.11019/09/2022-HR dated 04.05.2022;

AND WHEREAS it has been reported that 17 State Governments have not constituted such Appropriate Authorities and because of this, difficulties have arisen which may adversely affect the conducting of the counselling or procedures related to Assisted Reproductive Technology and Surrogacy being conducted by clinics or banks falling under the respective jurisdictions of these 17 States;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 46 of the Assisted Reproductive Technology (Regulation) Act, 2021 (42 of 2021), and section 54 of the Surrogacy (Regulation) Act, 2021 (47 of 2021) the Central Government hereby makes the following Order, to remove the said difficulties, namely:

- 1. (1) This Order may be called the Assisted Reproductive Technology (Regulation) and Surrogacy (Regulation) (Removal of Difficulties) Order, 2022.
 - (2) It shall come into force with effect from 25.07.2022.
- 2. Accordingly, the Assisted Reproductive Technology clinics, Assisted Reproductive Technology banks and Surrogacy clinics, falling under the jurisdiction of the **17 States as indicated below**, are allowed to conduct counselling or procedures pertaining to Assisted Reproductive Technology and Surrogacy beyond 24.07.2022 and up to a maximum period of 3 months (i.e. up to 24.10.2022):-

1. Assam	7. Himachal Pradesh	13. Rajasthan
2. Bihar	8. Jharkhand	14. Sikkim
3. Chhattisgarh	9. Karnataka	15. Tripura
4. Goa	10. Manipur	16. Uttar Pradesh
5. Gujrat	11. Meghalaya	17. Uttarakhand
6. Haryana	12. Nagaland	

[F. No. U.11019/ 133 /2022-HR] GEETA NARAYAN, Jt. Secy.